NOTARIAL NOTARIAL NOTARIAL NOTARIAL NOTARIAL
CANCELLED CANCELLED CANCELLED CANCELLED CANCELLED
NOTARIAL NOTARIAL NOTARIAL NOTARIAL NOTARIAL

FIFTY RUPEES

Rs.50

Notariyal Stamp of Rs. 30.00 affixed

S.R. No. 570/18
Date 13/03/18

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

NOTARY — Manik Ram Verma, Advocate Waidhan, Distt. Singrauli, M.P.-46/01/07/21-8 (Two) 2015 — GOVT. OF MADHYA PRADESH

मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH

AN 383515

समक्ष:- श्रीमान् नोटरी /शपथ आयुक्त महोदय जिला न्यायालय बैढ़न जिला सिंगरौली (म0प्र0)

-:शपथ-पत्र:-

1. मै कि- नीरज गुप्ता पिता श्री मुन्नी लाल गुप्ता उम्र 33 वर्ष, निवासी ग्राम- बरगवाँ, पोस्ट बरगवाँ, थाना बरगवाँ, तहसील देवसर, जिला -सिंगरौली (म0प्र0) का हूँ शपथ पूर्वक निम्नानुसार कथन करता हूँ कि :-

2. यह कि शिकायतकर्ता का आधार नं0- 956766050604 है।

3. यह कि शिकायतकर्ता बेरोजगार व्यक्ति है।

4. यह कि शिकायतकर्ता पक्षकार है।

5. यह कि शिकायतकर्ता स्वयं पक्षकार है।

6. यह कि शिकायत प्रकरण क्र0-621/16 एवं अपंजीकृत (नीरज गुप्ता बनाम अनुराधा प्रसाद वगैरह)

7. यह कि शिकायत कर्ता न्याय पाने वावत् शिकायत किया है।

8. यह कि शिकायत का व्यक्तिगत जानकारी है।

9. यह कि शिकायत की व्यक्तिगत जानकारी है।

10. यह कि दण्डात्मक कार्यवाही चाहते है।

11. यह कि शिकायत कर्ता एवं जिसके विरुद्ध शिकायत की गई है कोई संबंध नही है।

12. यह कि शिकायत कर्ता सरकारी कर्मचारी नही है। (शिकायतकर्ता बेरोजगार है)

13. यह कि शपथ-पत्र में उल्लेखित सभी तथ्य शपथ सत्यापन के साथ है।

Manik Ram Verma Advocate
NOTARY 13/03/18
Waidhan Distt. Singrauli (M.P.)

ह0 शपथ0- N.K. Gupta

क्रमशः 2 पर..

शिकायती पत्र

श्री मान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट महोदय,
मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH 28AA 432044
बैढन, जिला एवं सत्र न्यायालय,
जिला सिंगरौली मध्य प्रदेश

बिषय :- माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट महोदय राम प्रसाद सिंह प्रथम श्रेणी देवसर जिला सिंगरौली मध्य प्रदेश द्वारा दिनांक 05-05-16 को मामला क्र० 621/16 में किया गया आदेश गलत / झूठा / फर्जी हैं । या मामला क्र० 621/16 के माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश को गलत / झूठा / फर्जी कहने वाले मामला (नीरज गुप्ता V/S अनुराधा प्रसाद बगैरह मामला) के समस्त आरोपीगण के दवाव में आ कर माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट महोदय राम प्रसाद सिंह प्रथम श्रेणी द्वारा उक्त मामला को दिनांक 30-11-17 से दिनांक 08-01-18 तक उक्त मामले के मूल फाइल को माननीय न्यायालय से गायब कर दिया गया । किन्तु दिब्यांग परिवादी द्वारा दिनांक 05-01-18 को आवेदन दे कर मामले की परिवाद पत्र की व आखरी 3 आदेशाशिट के नक़ल की मांग किया गया । जिसकी रसिद माननीय मुख्य नक़ल अधिकारी न्यायलय द्वारा दिनांक 08-01-18 को जारी किया गया । जिस पर माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट महोदय द्वारा दिनांक 08-01-18 को मामले की मूल फाइल माननीय न्यायालय में लाया गया । और दिनांक 12-01-18 को उक्त मामले को ख़ारिज कर गलत / झूठा / फर्जी आदेश दिया गया हैं । अत: न्याय नहीं, तो दिब्यांग परिवादी नीरज गुप्ता को इच्छा मृत्यु का वरदान देने की महान दया करे ।

N.K. Gupta
09-02-18

(1/9)

2251
13/03/18

नीरज कुमार पिता मुन्नीलाल शुक्ला निवासी बरगवां जिला सिंगरौली (म.प्र.)

500/-
956766050604

अजय कुमार वर्मा
स्टाम्प वेण्डर
बैढ़न, जिला-सिंगरौली (म०प्र०)

NOTARY
GOVT. OF M.P.

मान्यवर

सबिनय नम्र निवेदन है कि दिब्यांग परिवादी नीरज गुप्ता पिता मुन्नी लाल गुप्ता निवासी मेन रोड बरगवां जिला सिंगरौली मध्य प्रदेश का मूल निवासी हैं। और एक पैर से बिकलांग होने के साथ-साथ बेरोजगार व बहुत गरीब परिवार से तालुकात रखता हैं।

यह कि दिब्यांग परिवादी नीरज गुप्ता को विप्रो कम्पनी द्वारा वर्ष 2013 फ़रवरी में कम्पनी में कार्य करने के लिए ऑफर लेटर दिया गया। और जोइनिंग की बहुत सारी प्रक्रिया दिखाई गई। किन्तु दिब्यांग परिवादी की जोइनिंग कम्पनी में नहीं किया गया। जिसकी शिकायती जनहित परिवाद पत्र दिब्यांग परिवादी द्वारा दिनांक 12/05/15 को सर्वप्रथम माननीय उच्च न्यायलय जबलपुर में दर्ज कराई गई। जिस पर माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा उक्त मामला क्र० WP-8239/2015 में सुनवाई करते हुए दिनांक 03/08/15 को आदेशित किया गया कि दिब्यांग परिवादी द्वारा उक्त मामले की अपराधिक परिवाद पत्र माननीय निचली न्यायालय में दर्ज कराई जाये। जिस पर दिब्यांग परिवादी द्वारा दिनांक 24/09/15 को अपराधिक परिवाद पत्र माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट महोदय राम प्रसाद सिंह प्रथम श्रेणी देवसर जिला सिंगरौली मध्य प्रदेश में दर्ज कराई गई। जिस पर 5 आरोपियों (1 अज़ीम प्रेम जी मुख्य प्रबंधक विप्रो कम्पनी, 2 सुरेश महतो, 3 अलोक कुमार संधिल्या, 4 मृदुल घोष, 5 सौरभ आचार्या) के खिलाफ धारा 204, 311, 419, 420, 467, 468, 34-IPC के तहत मामला दर्ज कराई गई। जिस पर सुनवाई करते हुए, माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट महोदय द्वारा उक्त मामला क्र० 621/16 के 2 आरोपियों (परिवाद पत्र के आरोपी क्र० 2 सुरेश महतो और परिवाद पत्र के आरोपी क्र० 3 आलोक कुमार संधिल्या) के खिलाफ धारा क्र० 420, 465, 120-बी, 34-IPC के तहत दिनांक 05/05/16 को मामला पंजिबध्य किया गया। और परिवाद पत्र के शेष 3 और अभियोक्तों के खिलाफ मामला पंजिबध्य नहीं किया गया। जिस पर दिब्यांग परिवादी द्वारा दिनांक 07/06/16 को माननीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय जी०एस० नेताम देवसर न्यायलय में दर्ज कराई गई। जिस पर माननीय न्यायाधीश महोदय द्वारा दिनांक 08/08/16 को पुनर्बिचार याचिका क्र० 500088/16 के शेष 3 और अभियुक्तों के खिलाफ सबब बताओ नोटिस जारी किया गया। किन्तु किसी भी अभियुक्तों द्वारा माननीय न्यायालय में कोई भी जबाबा पेश नहीं किया गया। जिसके बिपरीत माननीय न्यायाधीश महोदय जी०एस० नेताम द्वारा प्रत्यर्थी अज़ीम प्रेम जी से पैसे ले कर दिब्यांग परिवादी को पुनर्बिचार मामला क्र० 500088/16 को वापस लेने डराया और धमकाया गया। जिसकी शिकायत दिब्यांग परिवादी द्वारा माननीय उच्च न्यायलय में किया गया। जिसकी जाँच अभी भी जारी हैं। और माननीय जिला एवं सत्र न्यायलय महोदय अमरनाथ केशरी न्यायलय में उक्त मामला को ट्रांसफर परिवाद दर्ज कराई गई। जिस पर माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधिश महोदय द्वारा उक्त मामले में सुनवाई करते हुए, आदेशित किया गया, कि उक्त मामला की अग्रिम सुनवाई माननीय दुतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधिश महोदय सुधीर कुमार सिंह के न्यायलय में सुनवाई किया जावेगा। जिस पर उक्त मामले में सुनवाई करते हुए, दिनांक 06-11-17 को माननीय दुतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय द्वारा आदेशित किया गया, कि उक्त मामले में पेश सबुत के आधार पर उक्त मामले के समस्त आरोपियों द्वारा देश के चहुँ ओर से 6 से 7 हजार बेकसूर नौजवानों के साथ नौकरी के नाम पर फर्जीवाडा किया गया हैं।

N.K. Gupta
09-02-18

(2/9)

अतः उक्त मामले के शेष समस्त अभियोक्तों के खिलाफ भी अपराधिक मामला करीत होता है। और अधीनस्थ न्यायालय उक्त मामले के समस्त आरोपियों के खिलाफ मामला विधिविधान सहित पंजीबद्ध किया जावे। जिस पर माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट महोदय राम प्रसाद सिंह देवसर द्वारा उक्त मामले की अग्रिम सुनवाई करते हुए दिनांक 12-01-18 को आरोपियों के दवाव में आ कर आदेशित किया गया, कि उक्त मामले में पेश समस्त सबुत साईंबार क्राईम को परिक्षण के लिए भेजा जाये। इससे स्पस्ट हैं कि माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट महोदय द्वारा दिनांक 05-05-16 को दिए गए आदेश से पहले उक्त मामले के समस्त सबूत का परिक्षण नहीं कराया गया। और अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आज दिनांक तक उक्त पंजीकृत मामले के 2 आरोपियों (सुरेश महतो व अलोक कुमार संधिल्या) की गिरफ़्तारी वारंट अभी तक जारी नहीं कराई गई हैं। स्पस्ट हैं कि उक्त मामले के समस्त आरोपियों द्वारा देश के चहुँ ओर बेकसूर नौजवानों के साथ नौकरी के नाम पर फर्जीवाडा किया जाता रहा हैं। अतः दिब्यांग परिवादी नीरज गुप्ता द्वारा उक्त मामले को प्रसारित करने प्रयास करता रहा हैं। और खुद के शोशल साइड में प्रसारित भी किया गया हैं।

इसी प्रकार माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट महोदय द्वारा दिनांक 05-05-16 को मामला क्र० 621/16 पंजीबद्ध होने के बाद दिब्यांग परिवादी द्वारा उक्त मामले के आदेश को खुद के शोशल मीडिया में प्रसारण करने पर न्यूज़-24 के संबाददाता देवेन्द्र पाण्डेय द्वारा उक्त मामले के प्रसारण के लिए दिनांक 22-06-16 को दिब्यांग परिवादी का मामला सम्बन्धी वयान कैमरे में लिया गया। और आरोपी देवेन्द्र पाण्डेय द्वारा दिब्यांग परिवादी से दिब्यांग परिवादी वकील का मामला सम्बन्धी वयान कैमरे में ले कर देने को कहा गया। जिस पर दिब्यांग परिवादी द्वारा दिनांक 25-06-16 को दिब्यांग परिवादी वकील का मामला सम्बंधित वयान कैमरे में ले कर आरोपी देवेन्द्र पाण्डेय को उसके व्हाट्सऐप नंबर 9165538865 व 9425303690 में सेंड कर दिया गया। और व्हाट्सऐप शोशल साइड द्वारा दिब्यांग परिवादी को जानकारी दिया गया की आरोपी देवेन्द्र पाण्डेय द्वारा दिब्यांग परिवादी द्वारा दिए गए दिब्यांग परिवादी वकील का मामला सम्बंधित वयान विडिओ को पढ़ लिया गया हैं। किन्तु आरोपी देवेन्द्र पाण्डेय द्वारा दिनांक 02-07-17 को दिब्यांग परिवादी को कहा गया, कि दिब्यांग परिवादी वकील का कैमरे में वयान लेने देवसर जाना है। जिस पर दिब्यांग परिवादी आरोपी देवेन्द्र पाण्डेय के साथ देवसर गया। और आरोपी देवेन्द्र पाण्डेय द्वारा दिब्यांग परिवादी वकील का मामला सम्बन्धी वयान कैमरे में लिया गया। और कहा गया कि 3-5 दिनों में उक्त मामला न्यूज़-24 न्यूज़ चैनल में प्रसारित कर दिया जायेगा। किन्तु संबाददाता देवेन्द्र पाण्डेय व न्यूज़-24 द्वारा मामला क्र० 621/16 के आरोपी क्र० 1 अज़ीम प्रेम जी से पैसें ले कर मामला को प्रसारण नहीं किया गया। जब दिब्यांग परिवादी द्वारा आरोपी देवेन्द्र पाण्डेय से मामला प्रसारित न होने का कारण जानना चाहा, तो आरोपी देवेन्द्र पाण्डेय द्वारा दिब्यांग परिवादी को बताया गया कि मामला क्र० 621/16 जो माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट राम प्रसाद सिंह महोदय द्वारा दिनांक 05/05/16 को आदेशित किया गया, गलत, झूठा व फर्जी हैं। जिसे आरोपी संबाददाता देवेन्द्र पाण्डेय व न्यूज़-24 प्रसारित नहीं करेगा। और दिब्यांग परिवादी को शांत रहने के लिए डराया व धमकाया गया। जिस पर दिब्यांग परिवादी द्वारा लिखित शिकायत जिला पुलिस प्रशासन को किया गया। जिस पर माननीय एस०डी०ओ०पी० महोदय सिंगरौली द्वारा मामले का जाँच किया ही जा रहा था। कि आरोपी संबाददाता देवेन्द्र पाण्डेय द्वारा आरोपी देवेन्द्र पाण्डेय वकील एस०डी० सुक्ला द्वारा एक लीगल नोटिस दे कर कहा गया कि अगर दिब्यांग परिवादी द्वारा माफ़ी न मांगी गई, तो दिब्यांग परिवादी के खिलाफ झूठा अपराधिक मामला (झूठा मामला) माननीय न्यायालय में दर्ज कराई जाएगी। जिस पर दिब्यांग परिवादी द्वारा स्वयं ही दिनांक 26-10-16 को एक अपराधिक मामला माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट राम प्रसाद सिंह महोदय प्रथम श्रेणी देवसर न्यायालय में दर्ज कराई गई। जिस पर माननीय मजिस्ट्रेट महोदय द्वारा उक्त मामले की सुनवाई जारी ही था। कि आरोपी संबाददाता देवेन्द्र पाण्डेय द्वारा दिब्यांग परिवादी को मो० 9425303690 व 9165538865 से

N. K. Gupta
09-02-18

डराने व धमकाये जाने लगा। जिसकी लिखित शिकायत दिब्यांग परिवादी द्वारा दिनांक 25-04-17 को जिला पुलिस प्रशासन व राज्य पुलिस प्रशासन को किया गया। किन्तु न तो जिला पुलिस प्रशासन द्वारा और न ही राज्य प्रशासन द्वारा कोई कार्यवाही नहीं किया गया।

यह कि उक्त मामले में माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट महोदय द्वारा सुनवाई करते हुए, आखरी तर्क की सुनवाई दिनांक 30-11-17 से तीन तारीख पहले ही किया जा चूका था। और माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट महोदय द्वारा दिनांक 30-11-17 को मौखिक आदेशित किया गया कि उक्त मामले में फैसला दिनांक 11/12/17 को किया जावेगा। किन्तु निर्धारित तारीख को मामले की मूल फाइल माननीय न्यायालय में नहीं पाया गया। काफी समय तक उक्त मामले की मूल फाइल माननीय न्यायालय में नहीं पाया गया, जिससे दिब्यांग परिवादी द्वारा दिनांक 05-01-18 को माननीय मुख्य नक़ल अधिकारी न्यायलय देवसर को एक आवेदन दे कर उक्त मामले के परिवाद की और आखरी 3 आदेशशिट के नक़ल की मांग किया गया। जिस पर माननीय मुख्य नक़ल अधिकारी द्वारा उक्त आवेदन की रसीद दिनांक 08-01-18 का बना कर दिनांक 08-01-18 को ही दिया गया। और तभी माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट महोदय द्वारा जानकारी दिया गया कि उक्त मामले की मूल फाइल माननीय न्यायालय में मिल गई हैं। जिस पर फैसला दिनांक 12-01-18 को सुनाया जावेगा। जिस पर दिब्यांग परिवादी द्वारा दिनांक 08-01-18 को उक्त मामले के मूल फाइल के आदेशशिट पर खुद के हस्ता० भी किया गया। इस तरह दिनांक 12-01-18 को दिब्यांग परिवादी के उक्त मामले के समस्त आरोपियों के दवाव में आ कर माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट महोदय राम प्रसाद सिंह द्वारा मामले में सुनवाई करते हुए, मामला नीरज गुप्ता V/S अनुराधा प्रसाद बगैरह को ख़ारिज कर दिया गया। किन्तु दिब्यांग परिवादी द्वारा दिनांक 15-01-18 व दिनांक 27-01-18 को मांगने पर भी आज दिनांक तक माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट महोदय राम प्रसाद सिंह व माननीय मुख्य नक़ल अधिकारी द्वारा उक्त नक़ल की कॉपी दिब्यांग परिवादी को नहीं दिया गया। जबकि माननीय मुख्य नक़ल अधिकारी द्वारा नक़ल रसीद में नक़ल देने की तारीख 15-01-18 दिया गया हैं।

जिस पर उक्त मामले के समस्त आरोपीयों द्वारा और नीरज गुप्ता V/S अज़ीम प्रेम जी बगैरह (मामला क्र० 621/16) के समस्त आरोपियों द्वारा पुलिस आधिकारीयों के ममद से दिब्यांग परिवादी को मोबाईल पर पहले तो माँ-बहन की गाली दिया जाता रहा, जिसकी लिखित शिकायत जिला पुलिस प्रशासन व राज्य पुलिस प्रशासन से किया गया। जिस पर जिला पुलिस प्रशासन द्वारा उक्त मामले में कोई कार्यवाही नहीं किया गया। और माननीय सी०ऍम० हेल्पलाइन महोदय द्वारा दिनांक 23-06-17 को उक्त मामले को पंजीबद्ध किया गया। और जाँच सिंगरौली एस०डी०ओ०पी० महोदय राजेश सिंह परिहार को दिया गया। किन्तु सिंगरौली एस०डी०ओ०पी० महोदय द्वारा उक्त मामले के समस्त आरोपियों के दवाव में आ कर उक्त मामले को दवाने के लिए माननीय सी०ऍम० हेल्पलाइन महोदय को गलत जानकारी दे कर मामले की जाँच को रुकवा दिया गया। माननीय सिंगरौली एस०डी०ओ०पी० महोदय द्वारा माननीय सी०ऍम० हेल्पलाइन महोदय को दिए गए जानकारी इस प्रकार हैं, कि उक्त मामले के दिब्यांग परिवादी का कथन दिनांक 10-06-17 को लिया गया। जबकि परिवादी का वयान दिनांक 09-06-17 को बरगवां थाना में माननीय सिंगरौली एस०डी०ओ०पी० महोदय द्वारा लिया गया था। और जाँच कर्ता द्वारा जाँच दिनांक 19-06-17 को किया गया। और जानकारी दिया गया कि अमन तिवारी मामला क्र० 621/16 (जिस पर माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट महोदय द्वारा दिनांक 05-05-16 को आदेशित किया गया हैं) मामले में अमन तिवारी भी आरोपी हैं। जिस पर माननीय सी०ऍम० हेल्पलाइन महोदय द्वारा उक्त मामले की जाँच को रोक दिया गया। अतः जिला पुलिस प्रशासन का सह पा कर उक्त मामले के समस्त आरोपियों द्वारा दिब्यांग परिवादी पर क्रमशः लगातार तीन बार (पहला हमला दिनांक 09/08/17 को, दूसरी बार हमला दिनांक 07/10/17 और तीसरी बार हमला दिनांक 25/11/17 को) जानलेवा हमला की कोशिश किया जा

N.K. Gupta
09-02-18

चूका हैं। जिसकी लिखित शिकायत जिला पुलिस प्रशासन को दिनांक 25/04/17, 10-11/08/17, 07/10/17 को, और राज्य पुलिस प्रशासन को दिनांक 25/04/17, 14/11/17 को किया गया। जिस पर दिब्यांग परिवादी द्वारा उक्त मामले के समस्त आरोपियों द्वारा दिब्यांग परिवादी पर किये जा रहे हमले की कोशिश की लिखित जानकारी (सूचीं दस्तावेज) दिनांक 21-09-17 को उक्त मामले के परिवाद पत्र में पेश करने की कोशिश किया गया। किन्तु माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट महोदय द्वारा दिब्यांग परिवादी को यह मौखिक कह कर स्वीकार नहीं किया गया, कि उक्त मामले के समस्त आरोपियों द्वारा किये जा रहे हमले के लिए एक अलग से परिवाद पत्र माननीय न्यायलय में दर्ज किया जावे। चूकिं दिब्यांग परिवादी अत्यंत गरीब होने के साथ-साथ बेरोजगार हैं। इस लिए उक्त मामले के समस्त आरोपियों द्वारा दिब्यांग परिवादी पर किये जा रहे हमले के लिए एक और अलग से परिवाद पत्र माननीय न्यायालय में दर्ज नहीं किया गया। किन्तु न ही माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट महोदय द्वारा और न ही जिला व राज्य पुलिस प्रशासन द्वारा उक्त मामले में कोई कार्यवाही नहीं किया गया।

<u>शिकायती पत्र के आधार निम्नलिखित हैं :–</u>

1. यह कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 05-05-16 को आदेशित मामला क्र० 621/16 के प्रसारण के लिए आरोपी देवेन्द्र पाण्डेय के कहने पर ही परिवादी द्वारा परिवादी वकील का मामला सम्बंधित वयान कैमरे में लिया गया। जिसमे परिवादी वकील द्वारा स्पस्ट वयान दिया गया हैं कि माननीय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 05-05-16 को मामला क्र० 621/16 में 2 आरोपीगण (सुरेश महतो और अलोक कुमार संधिल्या) के खिलाफ धारा 420, 465, 120-बी० व 34-IPC के तहत मामला पंजिबध्य किया गया हैं। उक्त वयान विडिओ की डी०वी०डी० परिवादी द्वारा स्वयं के लेनवो कंपनी के लेपटाप से बना पर धारा 65-बी० का सपथपत्र पेश कर परिवाद पत्र में पेश लिया गया। जिसे अरोपिगण देवेन्द्र पाण्डेय द्वारा झूठा, गलत व फर्जी कह कर मामला प्रसारित नहीं किया गया। और आरोपी देवेन्द्र पाण्डेय द्वारा परिवादी को व्हाट्सऐप के माध्यम से यह भी कहा गया कि अगर परिवादी 1500 देता तो मामला में सच्चाई आ जाती और मामला प्रसारित भी हो जाती। किन्तु परिवादी द्वारा आरोपी देवेन्द्र पाण्डेय को रु० 1500 नहीं देने से मामला प्रसारित नहीं किया गया। जिससे स्पस्ट है कि आरोपी देवेन्द्र पाण्डेय द्वारा मात्र पैसों के लिए माननीय न्यायालय के आदेश को झूठा, गलत व फर्जी कहा हैं। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 12-01-18 के आदेश में यह स्पस्ट रूप से कहा गया कि आरोपियों द्वारा माननीय न्यायलय का अपमान किया गया करीत नहीं होता हैं। और मामला ख़ारिज कर दिया गया। स्पस्ट हैं कि अधीनस्थ न्यायलय द्वारा उक्त मामले के समस्त आरोपियों द्वारा दवाव में आ कर उक्त मामला को ख़ारिज किया गया हैं। स्पस्ट हैं कि अधिनस्थ न्यायालय ने परिवाद पत्र को ख़ारिज कर के बहुत बड़ी भूल कर त्रुटीपूर्ण आदेश किया हैं।

M.K. Gupta
09-02-18

(5/9)

2. यह कि आरोपी देवेन्द्र पाण्डेय द्वारा मामला क्र० 621/16 की खबर प्रसारित न करने व पैसे की मांग करने पर परियादी द्वारा ट्वीटर शोशल साइड पर प्रसारित किया गया। जिस पर न्यूज़-24 के दिल्ली आफिस से आरोपी पंकज शर्मा कर्मचारी न्यूज़-24 द्वारा फोन नम्बर +91-1203911411 से परिवादी के मोबाइल क्र० 7771822877 पर फोन कर मामले की जानकारी लिया गया। जिस पर परिवादी द्वारा आरोपी देवेन्द्र पाण्डेय की शिकायत के साथ-साथ मामला क्र० 621/16 की भी जानकारी दिया गया। किन्तु आरोपी पंकज शर्मा द्वारा भी माननीय अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 05-05-16 मामला क्र० 621/16 को झूठा, गलत व फर्जी कहा था। जिसकी फ़ोन टेप की डी०वी०डी० खुद के लेनवो कंपनी के लेपटाप से बना कर परिवादी द्वारा माननीय न्यायालय में पेश किया गया हैं। और आरोपी पंकज शर्मा द्वारा आरोपी देवेन्द्र पाण्डेय का ही साथ दिया गया। जिससे स्पस्ट होता हैं कि आरोपी पंकज शर्मा व आरोपी देवेन्द्र पाण्डेय एक-दुसरे से मिले हैं। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 12-01-18 के आदेश में यह स्पस्ट रूप से कहा गया कि आरोपियों द्वारा माननीय न्यायलय का अपमान किया गया करीत नहीं होता हैं। और मामला ख़ारिज कर दिया गया। स्पस्ट हैं कि अधीनस्थ न्यायलय द्वारा उक्त मामले के समस्त आरोपियों द्वारा दवाव में आ कर उक्त मामला को ख़ारिज किया गया हैं। स्पस्ट हैं कि अधिनस्थ न्यायालय ने परिवाद पत्र को ख़ारिज कर के बहुत बड़ी भूल कर त्रुटीपूर्ण आदेश किया हैं।

3. यह कि अधिनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 12-01-18 में अधिनस्थ न्यायालय ने यह तो अवस्य माना हैं कि परिवादी द्वारा आरोपी देवेन्द्र पाण्डेय से 1500 रु० लेनदेन की बात की गई हैं। एवं आरोपी देवेन्द्र पाण्डेय द्वारा परिवादी को अंजाम भुगतने की धमकी भी दि गई हैं। अत: IPC की धारा 420 के तहत मामला पंजीकृत न करके अधिनस्थ न्यायालय ने त्रुटीपूर्ण आदेश किया हैं।

4. यह कि अधिनस्थ न्यायालय ने उक्त आदेश में यह भी माना हैं कि न्यूज़-24 के व्हाट्सऐप अटेंडर द्वारा आफिसियल व्हाट्सऐप को डिलीट कर दिया गया हैं। जब परिवादी ने घटना को ट्वीटर के माध्यम से प्रसारण किया तो, अटेंडर पंकज शर्मा ने पुन: आफिसियल व्हाट्सऐप को जोड़ दिया लेकिन प्रोफाइल से फोटो और स्टेटस को डिलीट कर दिया गया। अत: स्पस्ट हैं कि अटेंडर पंकज शर्मा एवं देवेन्द्र पाण्डेय ने इलेक्ट्रोनिक दस्तावेज का विलोपन किया हैं। अत: IPC के धारा 204 के अपराधी दोनों आरोपी अटेंडर पंकज शर्मा और देवेन्द्र पाण्डेय आरोपी बनाते हैं। किन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने परिवाद पत्र को ख़ारिज कर के बहुत बड़ी भूल कर त्रुटीपूर्ण आदेश किया हैं।

5. यह कि प्रक्रण क्र० 621/16 के संबंध में अधिनस्थ न्यायलय द्वारा स्वयं ही मामले में संज्ञान लिया गया हैं। एवं उक्त मामले में 2 आरोपियों के खिलाफ मामला पंजिबध्य किया गया हैं। आरोपीगण द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के आदेश को झूठा, गलत और फर्जी कहा गया। किन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने आरोपीगण के विरुद्ध IPC धारा 500 न्यायालय की अपमान न मानते हुए। बहुत बड़ी भूल की हैं। अधिनस्थ न्यायालय का आदेश पूर्णत: त्रुटीपूर्ण हैं।

M.K. Gupta
09-02-18

(6/9)

6. यह कि अधिनस्थ न्यायालय ने अपने आदेश में यह स्पस्ट माना हैं कि न्यूज़-24 चैनल के द्वारा सहआशय संपर्क बंद किया गया तथा परिवादी के द्वारा प्रस्तुत इंटरनेट दस्तावेजों में स्पस्ट हैं कि आरोपी अनुराधा प्रसाद व मानक गुप्ता के द्वारा ट्वीटर को भी ब्लाक किया गया हैं। जिससे यह स्पस्ट हैं कि आरोपी अनुराधा प्रसाद, आरोपी पंकज शर्मा और आरोपी देवेन्द्र पाण्डेय एक-दुसरे से मिलाती जुलती कड़ी हैं। जिससे देवेन्द्र पाण्डेय के निर्देश पर ही उक्त ट्वीटर को ब्लोक किया गया हैं। जिससे परिवादी के शिकायत का अवलोकन न किया जा सके। जिसके कारण परिवादी की आर्थिक एवं मानशिक क्षति हुई हैं। व परिवादी की स्वत: हानी हुई हैं। किन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने परिवादी की कोई क्षति न होना बता कर बहुत बड़ी भूल की हैं। अत: अधिनस्थ न्यायालय का आदेश पूर्णत: त्रुटीपूर्ण हैं।

7. यहा कि परिवादी द्वारा न्यूज़-24 के संबाददाता के द्वारा दि गई नोटिस की कॉपी परिवाद पत्र के साथ अधिनस्थ न्यायालय में पेश की गई हैं। एवं परिवादी द्वारा उक्त नोटिस का जबाब भी अधिनस्थ न्यायालय में पेश किया गया हैं। जिससे स्पस्ट रूप से अधिनस्थ न्यायालय ने यह माना हैं कि आरोपी देवेन्द्र पाण्डेय की ओर से प्रेषित नोटिस में परिवादी द्वारा रु० मागने व खबर दवाने का तथ भी उल्लेख हैं। लेकिन 621/16 प्रकर को फर्जी बता कर यह कहा गया कि फर्जी तरीके से अधिनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश किया गया हैं। अत: यह स्पस्ट हैं कि न्यायालय का अपमान दर्शित हैं। किन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने उक्त मामले को पंजीकृत न कर बहुत बड़ी भूल की हैं।

8. यह कि व्हाट्सऐप में स्पस्ट हैं कि धमकी भरा, अश्लील शब्द और अपमान जनक शब्द आरोपी देवेन्द्र पाण्डेय द्वारा परिवादी के विरुद्ध प्रयोग किया गया हैं। लेकिन अधिनस्थ न्यायालय ने उन व्हाट्सऐप वार्तालाप को गहराई से न लेते हुए, अश्लील शब्द या मानहानिकारक न मानते हुए बहुत बड़ी भूल की हैं। अधिनस्थ न्यायालय का आदेश बहुत ही त्रुटीपूर्ण हैं।

9. यह कि परिवादी ने परिवादी परिवाद पत्र प्रक्ररण क्र० 621/16 दिनांक 05-05-16 के आदेश दस्तावेज को अपने फेसबुक, ईमेल-आई०डी० में डाला था। जिसे देख कर की उक्त मामला विप्रो प्रमुख अज़ीम प्रेम जी के विरुद्ध हैं, परिवादी के पास स्वत: देवेन्द्र पाण्डेय चटपति खबर एवं लाभ के चक्कर से परिवादी के पास फोन पर बात कर खबर प्रसारित के नाम पर स्वत: परिवादी के घर बरगवां आ कर परिवाद पत्र के आदेश की कॉपी लिया हैं। एवं परिवादी द्वारा दि गई विडिओ परिवादी को वापस नहीं किया गया हैं। ऐसा भी हो सकता हैं कि परिवादी की उक्त विडिओ आरोपी संबाददाता देवेन्द्र पाण्डेय द्वारा विप्रो प्रमुख अज़ीम प्रेम जी को बेच कर अच्छी कीमत ले लिया गया हो। किन्तु इतना तो स्पस्ट हैं कि परिवादी द्वारा 1500 रु० न देने पर आरोपी देवेन्द्र पाण्डेय संबाददाता एवं अन्य दोनों आरोपी एक साथ मिलेजुले हैं। तथा आरोपी संबाददाता देवेन्द्र पाण्डेय परिवादी से 1500 रु० की मांग कर रहे थे। परिवादी का विडिओ वापस न करने से ऐसा स्पस्ट होता हैं कि उक्त विडिओ आरोपीगण द्वारा किसी को बेच दिया गया हैं। उक्त विडिओ को तोड़-मरोड़ कर परिवादी को फ़साने के लिए प्रयोग किया जा सकता हैं। जिससे परिवादी की बहुत बड़ी क्षति हो सकती हैं। किन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने

N.K. Gupta
09-02-18

परिवादी को कोई कारीत किया जाना दर्शित होना नहीं मानते हुए आरोपीगण के विरुद्ध प्रस्तुत परिवाद ख़ारिज कर दिया गया। अत: अधिनस्थ न्यायालय ने बहुत बड़ी भूल करते हुए त्रुटीपूर्ण आदेश किया हैं।

अस्तु श्री मान महोदय से विनम्र अनुरोध हैं कि दिब्यांग परिवादी को उक्त दोनों मामलों (पहला मामला नीरज गुप्ता V/S अज़ीम प्रेम जी बगैरह और दूसरा मामला नीरज गुप्ता V/S अनुराधा प्रसाद बगैरह) में न्याय न दे सकें, तो दिब्यांग परिवादी को इच्छा मृतु का वरदान देने की महान दया करे।

दिनांक :- 09/02/18

संलग्न :-

1 मामला नीरज गुप्ता V/S अनुराधा प्रसाद बगैरह में दिब्यांग परिवादी द्वारा माननीय न्यायलय से मागे गए नक़ल की कॉपी की रसीद की छायाप्रति (1)
2 माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट महोदय राम प्रसाद सिंह द्वारा दिनांक 12-01-18 को ख़ारिज आदेश की कॉपी की छायाप्रति (1)
4 उक्त दोनों मामलों के समस्त आरोपियों द्वारा दिब्यांग परिवादी पर किया गया जानलेवा हमलों की जिला व राज्य पुलिस प्रशासन को दिए गए लिखित शिकायत की छाया प्रति ( )

परिवादी/आवेदक

N.K. Gupta

नीरज गुप्ता पिता मुन्नी लाल गुप्ता
ग्रा० व थाना बरगवां, जिला सिंगरौली
मध्य प्रदेश 486886
मों० नं० 7771822877

प्रतिलिपि

1 महामहीम राष्ट्रपति महोदय
राष्ट्रपति भवन भारत
2 महामुहिम राज्यपाल महोदय
मध्य प्रदेश, भोपाल
3 माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय
सर्वोच्च्य न्यायालय, न्यू दिल्ली

N.K. Gupta
09-02-18

(8/9)

4 माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय
उच्च न्यायालय, जबलपुर मध्य प्रदेश
5 माननीय प्रिंसिपल रजिस्ट्रार महोदय
उच्च न्यायालय, जबलपुर मध्य प्रदेश
6 माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय,
जिला एवं सत्र न्यायालय वैढन
जिला सिंगरौली मध्य प्रदेश

N.K. Gupta
09-02-18

S.No. 862/18
Date 12/2/18 At Waidhan

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH

AN 408563

समक्ष :- श्रीमान नोटरी महोदय जिला न्यायालय बैढ़न जिला सिंगरौली (म०प्र०)

-:शपथ-पत्र:-

मै कि- नीरज गुप्ता पिता मुन्नी लाल गुप्ता उम्र 33 वर्ष, निवासी पता- ग्राम-बरगवा, पो० डगा: बरगवा, थाना बरगवाँ, तह० देवसर०, जिला सिंगरौली (म०प्र०) का हूँ।

01. यह कि मै शपथपूर्वक कथन करता हूँ कि मै उपरोक्त पते का निवासी हूँ।

02. यह कि मै शपथपूर्वक कथन करता हूँ कि मेरे द्वारा शिकायती पत्र प्रस्तुत किया जारहा है। जो कि मेरे स्वयं की जानकारी से लिख,पढ,समझकर अपने हस्ताक्षर कर ~~प्रेषित~~ प्रेसित किया जा रहा है। जो सही एवं सत्य है।

03. यह कि मै शपथपूर्वक कथन करता हूँ कि मै यह शिकायती पत्र अपने स्थिर बुद्धि तथा अपने मामले कोपुनावृत्त हेतु मेरे द्वारा लिखकर शिकायती पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। जिस पर कार्यवाही किया जाना शपथकर्ता के हित व न्याय संगत होगा । जिसके लिये यह शपथ-पत्र दे रहा हूँ।

हस्ता० शृ०- N.K. Gupta

सत्यापन:-

मै शपथी एतद् द्वारा सत्यापित करता हूँ कि शपथ-पत्र का पैरा क्र०-01 से 03 में वर्णित समस्त तथ्य मेरे स्वयं की जानकारी से सही एवं सत्य है।

बैढ़न/दिनांक-12-02-2018

हस्ता० शृ०- N.K. Gupta

IDENTIFIED BY

Paras Nath Shah Oath Commissioner
Dated 07-05-2011
C-3411 एफ 8-4
2008 Singrauli (M.P.)
District Court Waidhan

PARAS NATH SHAH
Oath Commissioner
Waidhan, Distt-Singrauli (M.P.)
12-2-18

Sig Of DEPONENT / EXECUTER